मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं श्रामी श्रीकीकास विभाग मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक [15 1 05 /2022 | P-2 22] प्रति,

भोपाल, दिनांक 😂 4 / 02 / 2022

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधानसभा,

मध्यप्रदेश

विषय:--

विधानसभा सत्र फरवरी—मार्च 2021 अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1683 प्रश्नकर्ता मान. विधायक श्री आलोक चतुर्वेदी जिला छतरपुर के उत्तर के भाग (घ) में संशोधन बावत।

-00-

विधानसभा सत्र फरवरी—मार्च 2021 अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1683 प्रश्नकर्ता मान. विधायक श्री आलोक चतुर्वेदी के उत्तर के भाग (घ) के उत्तर के स्थान पर संशोधित उत्तर पढ़ने बावत माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के हस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप 3 प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(शोभा निकुंम) अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल, दिनांक 🔏 / 02 / 2022

1. अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, विन्ध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2. संचालक, पंचायत राज संचालनालय की ओर सूचनार्थ।

3. संयुक्त आयुक्त, (विधानसभा) विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।

1 1 1 2 2022 1 2 1 2 2022

अवर संचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रश्नों के उत्तरों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 02.03.2021 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 116 में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्रमांक 1683) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करता हूं :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (घ) स्टेडियम के रखरखाव एवं मरम्मत की जिम्मेदारी जनपद पंचायत बिजावर की है एवं रखरखाव हेतु आवश्यकतानुसार व्यय जनपद पंचायत की निधि से किया जावेगा।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढा जावे :-

(घ) स्टेडियम के रखरखाव एवं मरम्मत की जिम्मेदारी जनपद पंचायत छतरपुर की है एवं रखरखाव हेत् आवश्यकतानुसार व्यय जनपद पंचायत की निधि से किया जावेगा।

2

(महेन्द्र सिंह सिसौदिया) मंत्री

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग